कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / माध्य / गुण. एवं प्रशि. अनु. / गुण.प्र. / प्रवेशोत्सव / 22492 / 2022–25 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ / यूसीईईओ।

विषय– समस्त राजकीय विद्यालयो मे नामांकन अभिवृद्वि, अनामांकित एव ड्रापआउट बालक–बालिकाओं, प्रवासी श्रमिको के बच्चो एव बाल–श्रम से मुक्त कराये गए बालक–बालिकाओ, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों / बच्चों को विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने तथा विद्यालयी शिक्षा से पुनः जोडने के संबंध में।

प्रसंग–
1. रास्कूशिप द्वारा आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक रास्कूशिप / जय / वै.शि. / प्रवेशोत्सव अभियान दिशा–निर्देश / 2024–25 दिनांक 13.06.2024 एवं
2. रास्कूशिप द्वारा शासन सचिव महोदय के पत्रांक रास्कूशिप / जय / वै.शि. / प्रवेशोत्सव अभियान / 2024–25 दिनांक 15.06.2024
3. मंत्री कार्यालय शिक्षा (विद्यालयी / संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक – मंत्री / विस / शिक्षा / पंरा. / 2024 / 3128 दिनांक 14.05.2024 तथा
4. निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.14(55) निसासशि / NILP-FLNATest / मूल्यांकन / 2023 / 1337–38 दिनांक 27.05.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में विभाग द्वारा 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के समस्त बालक–बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में शत् प्रतिशत ठहराव भी सुनिश्चित करना भी विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त अधिकारीगणों तथा कार्मिकों के सम्मिलित प्रयास अतिआवश्यक है। इस हेतु –

1. राज्य के समस्त बालक–बालिकाएं जिनकी आयु आंगनवाडी / विद्यालय जाने के योग्य हैं, का चिन्हिकरण उनका आयु अनुरूप आंगनवाडी / कक्षा में प्रवेश कर विद्यालयी शिक्षा से जोडा जाए।
2. विद्यालय के पुनः प्रारंम्भ होने के प्रथम दिवस से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का तिथिवार विवरण निम्नांकित है–

प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण			
क्र.स.	कार्य प्रक्रिया		दिनांक
1.	हाउस होल्ड सर्वे / बच्चों का चिन्हिकरण	–	24 जून से 29 जून 2024
2.	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	01 जुलाई से 16 जुलाई 2024
प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण			
3.	शेष रहे बच्चों के चिन्हिकरण हेतु पुनः हाउस होल्ड सर्वे	–	18 जुलाई से 24 जुलाई 2024
4.	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	25 जुलाई से 16 अगस्त 2024

3. **<u>अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरणः</u>**

- प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ कार्मिकों / शिक्षकों को निर्देशित कर नामांकन वृद्वि, अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक–बालिकाओं, प्रवासी श्रमिको के बच्चों एवं बाल–श्रम से मुक्त कराये गए बालक–बालिकाओं, विद्यालय से जोडने एवं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउसहोल्ड सर्वे करवाया जाना है।

RajKaj Ref
8182845

- इस हेतु नवीन शैक्षणिक सत्रारम्भ में विद्यालय पुनः प्रारंम्भ होने के प्रथम दिवस से संस्थाप्रधान द्वारा शिक्षकों को विद्यालय परिक्षेत्र में घर–घर भेजकर हाउसहोल्ड सर्वे करवाया जाना है।
- शिक्षा से वंचित इन चिन्हित बालक–बालिकाओं की प्रविष्टि प्रत्येक शिक्षक द्वारा **डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप** के माध्यम से की जानी है।
  नोटः–गत वर्ष उपयोग में ली गई डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप को उपयोग नहीं लिया जाना है। इस वर्ष शालादर्पण पर डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप का apk लिंक उपलब्ध है। जहां से प्रत्येक शिक्षक इस ऐप को पुनः डाउनलोड करेंगें। वर्तमान में यह ऐप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। शालादर्पण पर डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के apk लिंक के अलावा किसी भी अन्य लिंक से यह ऐप डाउनलोड नहीं करें।
- डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के उपयोग के संबंध में कार्यालय हाजा स्तर से दिनांक 06.05.2024 से 09.05.2024 तक प्रशिक्षण दिया गया था, डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप का प्रक्रिया–प्रवाह एवं निम्नानुसार है–

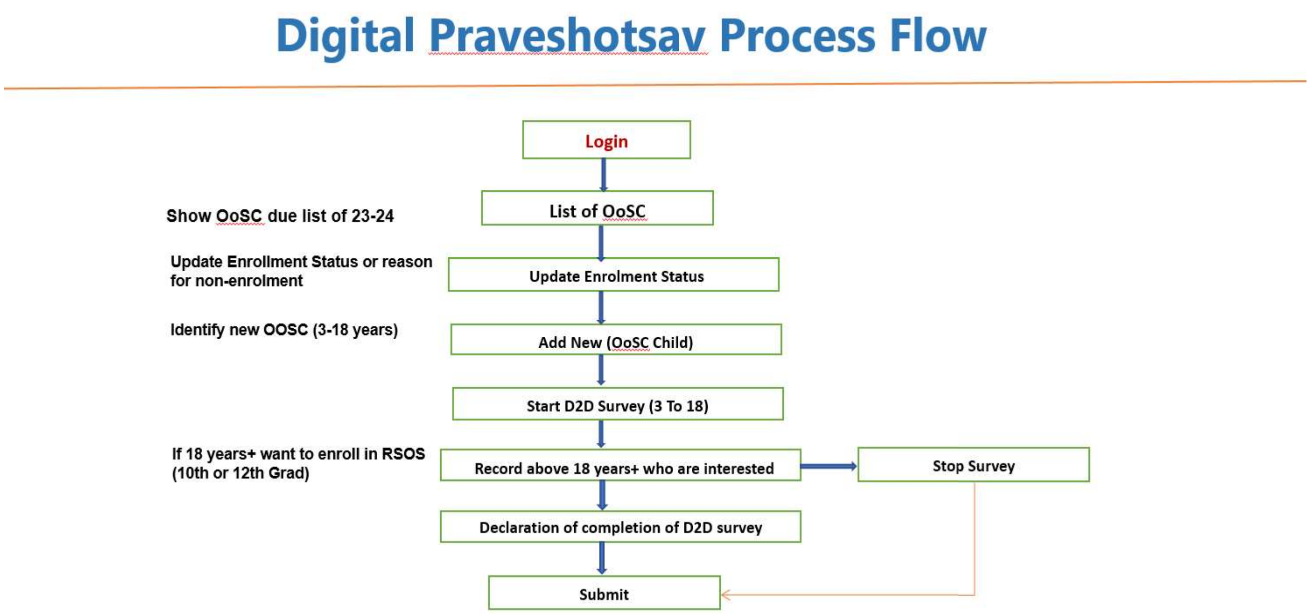

- डिजिटल प्रवेशोत्सव एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जिसे राजस्थान में शिक्षकों (सर्वेक्षकों) के लिए डिजाइन किया गया है। इसके द्वारा अनामांकिंत एवं ड्रॉपआउट बालक बालिकाओं को रजिस्टर में मैन्युअल रूप से पंजीकृत करने की पारंपरिक पद्धति को प्रतिस्थापित किया गया है। हाउसहोल्ड सर्वे के लिए रास्कूशिप के दिशा–निर्देशों में निर्धारित परिशिष्ट–1 के अनुरूप निर्मित इस मोबाईल ऐप की चरणबद्ध प्रक्रिया स्क्रीनशॉट अग्रानुसार है–

RajKaj Ref
8182845

Mobile Application screenshots

Mobile Application screenshots

Login Screen

Household information

RajKajRef
8182845

OOSC information

5. <u>शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश एवं इसकी CRC मॉडयूल में प्रविष्टि</u>

- इस हाउसहोल्ड सर्वे एवं डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप प्रविष्टि के उपरांत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं की पहचान की जाकर नव–प्रवेशित, ड्रापआउट इत्यादि बालक–बालिकाओं का पृथक–पृथक रिकार्ड संधारित जाए तथा उनका नियमानुसार निर्धारित कक्षा में निकटतम विद्‌ यालय में कार्ययोजना बनाकर आयु अनुरूप प्रवेश करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- हाउसहोल्ड सर्वे के उपरांत चिन्हित बालक–बालिकाओं एवं विद्यालय मे पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओ, गतिविधियों, लाभकारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करते हुए अधिकाधिक नामांकन करवाना है। उन्हें विद्यालय से जोडकर इसकी डेटा प्रविष्टि शालादर्पण के पीईईओ रोल चयन कर CRC मॉड्यूल पर निर्धारित अवधि तक संस्थाप्रधान द्वारा करवायी जानी है।

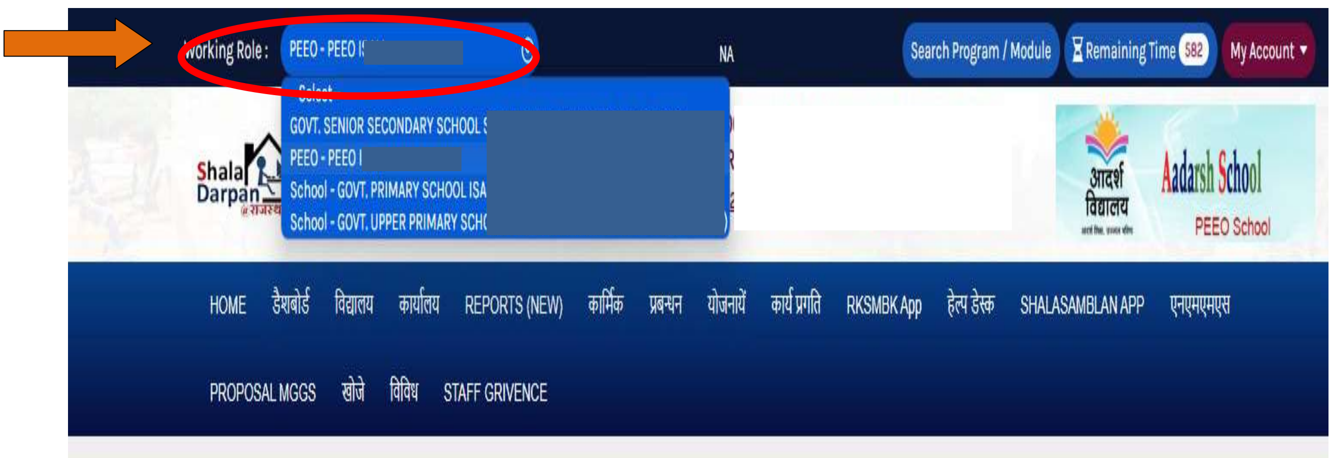

- इसके लिए सबसे पहले शालादर्पण स्कूल लॉगइन पर पीईईओ रोल का चयन कर, कार्यालय टैब पर जाएं। कार्यालय टैब में प्रदर्शित पीईईओ टैब के अंतर्गत PEEO/CRC (OOSC) का चयन करें।

RajKaj Ref
8182845

- PEEO/CRC (OOSC) का चयन करने पर चिन्हित एवं गत वर्ष के बकाया अनामांकित/ड्रॉपआउट शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की सूची प्रदर्शित होगी। जिसमें मुख्य धारा से जोडे विकल्प दिखाई देगा।

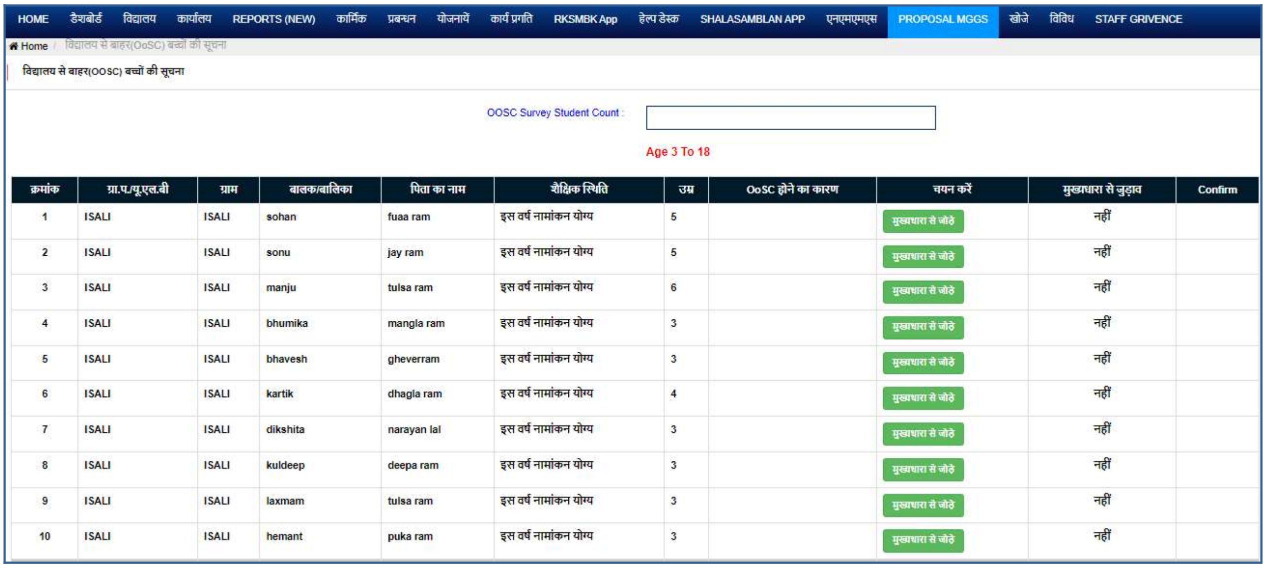

क्रमांक	ग्रा.प./यू.एल.बी	ग्राम	बालक/बालिका	पिता का नाम	शैक्षिक स्थिति	उम्र	OoSC होने का कारण	चयन करें	मुख्यधारा से जुड़ाव	Confirm
1	ISALI	ISALI	sohan	fuaa ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	5		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
2	ISALI	ISALI	sonu	jay ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	5		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
3	ISALI	ISALI	manju	tulsa ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	6		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
4	ISALI	ISALI	bhumika	mangla ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
5	ISALI	ISALI	bhavesh	gheverram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
6	ISALI	ISALI	kartik	dhagla ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	4		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
7	ISALI	ISALI	dikshita	narayan lal	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
8	ISALI	ISALI	kuldeep	deepa ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
9	ISALI	ISALI	laxmam	tulsa ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
10	ISALI	ISALI	hemant	puka ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	

- इस मुख्य धारा से जोड़े विकल्प पर क्लिक करने पर विद्यार्थी की प्रवेश से संबंधित कुछ जानकारियां भरने का विकल्प प्रदर्शित होगा। जिसे सेव करने से विद्यार्थी मुख्य धारा प्रविष्ट किया जा सकेगा।

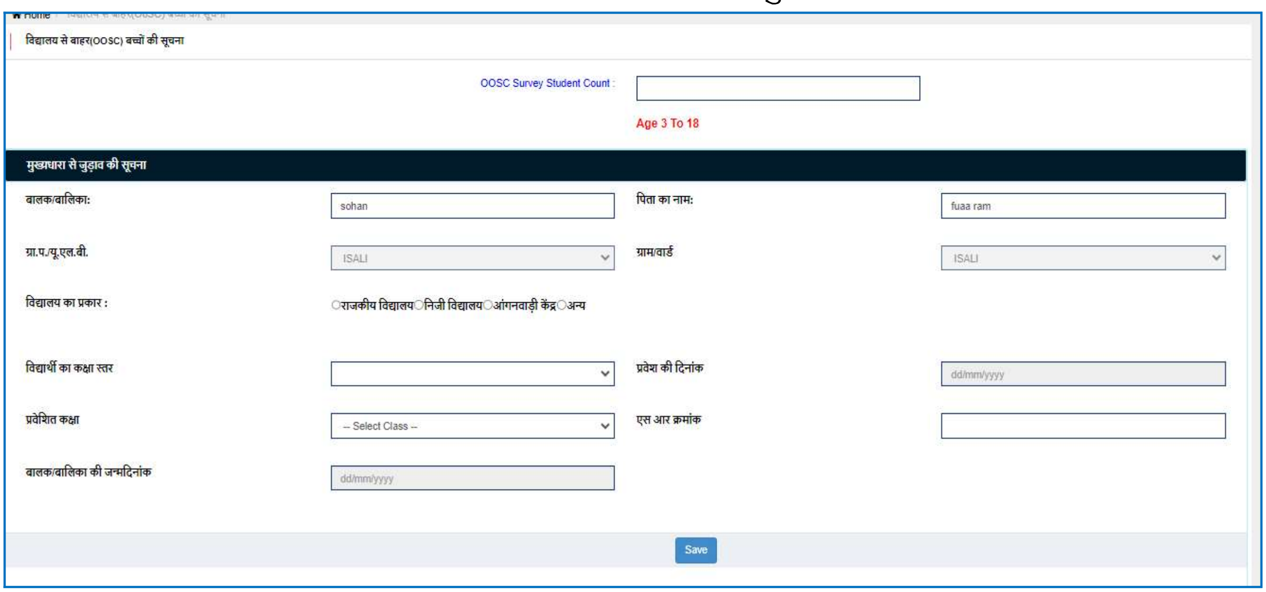

- 16 से 19 आयु वर्ग के चिन्हित होने वाले शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओ को उनकी आयु के अनुसार कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करवाने हेतु परिस्थिति अनुरूप विद्यालय/स्टेट ओपन स्कूल/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि इनकी विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करवायी जा सके।

RajKaj Ref
8182845

6. **<u>प्रवेशोत्सव एवं हाउस होल्ड सर्वे की साप्ताहिक मॉनिटरिंग:</u>**

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर से प्रवेशोत्सव अभियान दिशा–निर्देश सत्र 2024–25 के अनुसार प्रत्येक स्तर के लिए कार्य निर्धारित किये गये हैं। इसी क्रम में प्रवेशोत्सव एवं हाउस होल्ड सर्वे की साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने हेतु करणीय कार्य अग्रानुसार रहेंगें:–

- हाउसहोल्ड सर्वे करने वाले शिक्षकों द्वारा हाउसहोल्ड सर्वे के लिए निर्धारित परिशिष्ट–1 के अनुरूप निर्मित डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक–बालिकाओं, प्रवासी श्रमिको के बच्चों एवं बाल–श्रम से मुक्त कराये गए बालक–बालिकाओ की प्रविष्टि की जानी है।
- प्रवेशोत्सव के दौरान समस्त आंगनबाडियों से सूचना प्राप्त कर पंजीकृत बच्चों की सूचना पोर्टल मे स्वतः फीड किया जाना सुनिश्चित करावें।
- सभी विद्यालयों में घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के बालक–बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश के लिये प्रवेशोत्सव के अंतर्गत विशेष प्रयास कर इनका अधिकाधिक नामांकन सुनिश्चित किया जाना है। अतः संबंधित सीडीईओ अपने परिक्षेत्र में घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों की संख्या के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिशिचित करें।
- प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षकों द्वारा करवाये जाने वाले हाउसहोल्ड सर्वे से पूर्व शिक्षकों का उस परिक्षेत्र के बी.एल.ओ से जानकारी लेकर, सामंजस्य स्थापित करवाकर प्रवेशोत्सव की कार्यवाही करवायी जावें।
- प्रत्येक विद्यालय द्वारा शिक्षकों द्वारा किये गये हाउस होल्ड सर्वे के पश्चात् <u>विद्यार्थी प्रवेश की प्रविष्टियां</u> प्रतिदिवस शालादर्पण के CRC मॉड्यूल पर अद्यतन की जानी है।
- प्रत्येक शनिवार दोपहर 01:00 बजे तक पीईईओ/यूसीईईओ अपने क्षेत्राधीन समस्त विद्यालयों से साप्ताहिक रूप से अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक/बालिकाओं के पहचान एवं उनके विद्यालय में प्रवेशित होने की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे तथा विद्यालय छोड़ने से पूर्व संबंधित **सीबीईओ** को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
- प्रत्येक शनिवार सायं 05:00 बजे तक प्रत्येक सीबीईओ अपने क्षेत्राधीन समस्त पीईईओ/यूसीईईओ से प्राप्त रिपोर्ट्स का संकलन एवं संधारण कर अपने CDEO को प्रेषित करेंगे। जिन विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाई उनसे भी रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक सोमवारः सायं 05:00 बजे तक समस्त CDEO अपने क्षेत्राधीन समस्त CBEO से प्राप्त रिपोर्ट्स का संकलन एवं संधारण करके एक पृष्ठीय संख्यात्मक रिपोर्ट निदेशालय की ई–मेल आईडी:– qualitypravesh@gmail.com पर प्रेषित करेंगे।
- प्रति 15 दिवस में निदेशालय स्तर से वी.सी के माध्यम से CDEO द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।

RajKaj Ref
8182845

प्रवेशोत्सव अभियान के विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार फील्ड की वास्तविक एवं सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर यह सुनिश्चित करें कि आंगनवाडी अथवा विद्यालय जाने योग्य आयु वाला एक भी विद्यार्थी विद्यालयी शिक्षा से वंचित न रहे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक प्रारं./मा. शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ।
6. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
7. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ।
9. निजी सहायक, निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर ।
10. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
11. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), समग्र शिक्षा, जयपुर ।
12. जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. उपनिदेशक शालादर्पण जयपुर को शालादर्पण के CRC मॉड्यूल पर विद्यार्थी प्रवेश की मॉनिटरिंग हेतु।
14. समस्त संस्थाप्रधान।
15. प्रबंध निदेशक, एज्यूकेट गर्ल्स, जयपुर।
16. रक्षित प्रति ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

RajKaj Ref
8182845

Document certified by ASHISH MODI <ashishmodi.kgp@gmail.com>.
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :21-06-2024 12:13:00

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 2715565 Email ID- smsa.asfe2021@gmail.com

प्रवेशोत्सव अभियान
दिशा–निर्देश सत्र 2024–25

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ी प्राथमिक आवश्यकताओं यथा विद्यालय की पहुंच तथा नामांकन के लक्ष्यों को काफी हद तक राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो विभिन्न कारणों से विद्यालय से नहीं जुड़ पाते हैं अथवा कतिपय कारणों से विद्यालयों में उनका ठहराव नियमित नहीं हो पाता है। ऐसे सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है।

3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बालक–बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ–साथ जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है।

सत्र 2024–25 में प्रवेशोत्सव अभियान अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है। 3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाकर 3 से 5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ियों एवं 6 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जाने आवश्यक हैं–

1. 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना एवं विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाना।
2. चिन्हित बालक–बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शालादर्पण के सीआरसी मॉड्यूल पर प्रविष्टि करना।
3. 3 वर्ष से 18 वर्ष के बालक–बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में यूसीईईओ स्तर पर कार्ययोजना बनाकर **हाउस होल्ड सर्वे के लिये निर्धारित परिशिष्ट–1 प्रपत्रानुसार** चिन्हित करना एवं चिन्हित समस्त बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारणों का पता लगाकर तदनुसार कार्ययोजना बनाकर ऐसे बालक–बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना।
4. समस्त अभिभावकों/ ग्रामवासियों/ स्थानीय निवासियों/ जन प्रतिनिधियों को बालक–बालिकाओं हेतु शिक्षण एवं प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
5. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम सभा में प्रवेशोत्सव अभियान का आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अनिवार्य एजेण्डे के रूप में शामिल करें। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया जाये।
6. **प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान नामांकन की तिथि के सम्बन्ध में समय–समय पर निदेशक द्वारा जारी किये गये आदेश मान्य होंगे।**

RajKaj Ref
7939087

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.13 22:30:17 IST
Reason: Approved

<u>प्रवेशोत्सव के दौरान विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यों का विवरण</u>

1.<u>विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्यः</u>

1.1 <u>अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं हेतु</u> :

i. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सीआरसी द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शामिल करते हुये वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति कर हाऊस होल्ड सर्वे किया जाना है।

ii. वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 3 वर्ष से 18 वर्ष के चिन्हित अनामांकित बालक–बालिकाओं की सूची तैयार की जायेगी।

iii. **<u>उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैण्ड, निर्माणाधीन भवन, गाँव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन, प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भी सम्मिलित किया जाकर उनके बालक–बालिकाओं को चिन्हित एवं सूचिबद्ध किया जायेगा।</u>**

iv. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं को आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, एनआईओएस, पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं में जोड़ा जायेगा। आंगनबाड़ियों एवं राजकीय विद्यालयों में प्रवेश योग्य समस्त बालक–बालिकाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्रानुसार शालादर्पण पर CRC मॉड्यूलमें प्रविष्ट किया जायेगा।

v. **<u>सर्वे में चिन्हित कक्षा प्रथम में आयु अनुरूप प्रवेश योग्य बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में ना मानते हुये कक्षा प्रथम में शाला दर्पण के "नवीन प्रवेश प्रविष्टि" मॉड्यूल में सूचना प्रविष्टि की जाये।</u>**

vi. **<u>सर्वे में चिन्हित शिक्षा से वंचित (OoSC) ऐसे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक दक्षता कक्षा आयु अनुरूप है, उन्हें सीआरसी मॉड्यूल में शिक्षा से वंचित (OoSC) के कारणों को चिन्हित कर समान कक्षा में प्रवेश देवें।</u>**

vii. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किये गये बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर नवप्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरन्त नामांकित नहीं किया जा सका है, ऐसे चिन्हित बच्चों का विवरण CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट करना है।

viii. हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक–बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार **CondensedCourse / Bridge Course** के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जायेगा।

1.1.1 पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु

i. विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

1.1.1 विद्यालय में अध्ययनरत/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन हेतु किये जाने वाले अन्य कार्य

i. एसएमसी/एसडीएमसी की बैठकों में सभी सदस्यों एवं अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाये रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बाबत प्रेरित किये जाने के संबंध में चर्चा की जाये।

ii. विद्यालय में 3 से 18 वर्ष आयु के समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन रखी जायें।

iii. विद्यालय की निकटस्थ आंगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाये।

iv. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जाये कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक–बालिकाओं को आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करें।

v. चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने के संबंध में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर प्राप्त फीडबैक अनुसार ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने का प्रयास किया जावे। नामांकित बच्चों को विद्यालय आने पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जावे। पंचायत के प्रमुख स्थानों यथा – पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, धार्मिक स्थल, चौपाल, सामुदायिक केन्द्र, स्थानीय बस स्टैण्ड आदि पर वार्डवार चिन्हित एवं नामांकित/अनामांकित बच्चों की सूची चस्पा की जाये।

vi. सर्वे के दौरान चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूची वार्डवार, [illegible] रना [illegible] सीआरसी कार्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराया जाये।

Signature valid
RajKaj Ref 7939087
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.13 22:30:17 IST
Reason: Approved

vii. विद्यालय द्वारा गत सत्र के हाउस होल्ड सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में उनकी आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित किया जाये।

2. सर्वेकर्ता शिक्षक के दायित्व –

I. हाउस होल्ड सर्वे अन्तर्गत अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरी जाये।
II. प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाये एवं कोई कॉलम खाली न रहे।
III. आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, वास (हेबीटेशन), पुरबा या अस्थाई परिवार, प्रवासी मजदूरों के परिवार सर्वे से वंचित न रहें।
IV. सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष की आयु तक के समूह में सम्बन्धित संस्था प्रधान को जमा करायें।
V. चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने में सीआरसी कार्यालय को सहयोग करें।

4. सीआरसी स्तर पर किये जाने वाले कार्य

I. विद्यालय के अध्यापक, मेन्टर टीचर एवं समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान/हैड टीचर के साथ शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी बैठक की जावे।
II. प्रबुद्ध नागरिकों/सक्रिय ग्रामीणों/स्थानीय जनप्रतिनिधियों/भामाशाहों/विद्यालय के पूर्व छात्र–छात्रा जो सम्मानित पदों पर कार्यरत हैं, के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग प्राप्त किया जाये।
III. ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम/अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जावे एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली प्राप्त की जाये।
IV. वार्डवार अध्यापकों को नियुक्त किया जाकर हाउसहोल्ड सर्वे किये जाने के आदेश प्रसारित किये जायें।
V. समस्त संस्था प्रधान/हैड टीचर/टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में जानकारी देवे।
VI. **वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउसहोल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 5 वर्ष एवं 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक–बालिकाओं की सूचना पीईईओ/यूसीईईओ (सीआरसी मॉड्यूल) निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जाकर निर्धारित प्रपत्र में संकलन किया जाये।**
VII. ***सर्वे में चिन्हित बालक–बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर सीआरसी मॉड्यूल में तुरंत प्रविष्टि/अपडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।***
VIII. **हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे चिन्हित बालक–बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाये।**
IX. चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेशित करतथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार कक्षा का स्तर प्राप्त किया जाये।
X. अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों की एवं निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक–बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इस बाबत मेन्टर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करे एवं प्रगति की समीक्षा करें।

4.1 प्रवासी परिवार / श्रमिक परिवारों के बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के सम्बन्ध में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/मा–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/356 दिनांक 10 सितम्बर, 2020 की पालना सुनिश्चित करें। (संलग्न परिशिष्ट–2)

4.2 विद्यालय में नामांकित करवाये गये शिक्षा से वंचित (अनामांकित/ड्रॉप आउट), प्रवासी/श्रमिक परिवारों के बच्चों की सूचना की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल के सीआरसी मॉड्यूल संलग्न परिशिष्ट–3 के अनुसार करना सुनिश्चित करें, जिसकी नियमित मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धित सीबीईओ, एडीपीसी, डीईओ प्रारम्भिक/माध्यमिक (मुख्यालय), सीडीईओ, निदेशालय बीकानेर एवं परिषद कार्यालय द्वारा की जायेगी।

5. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य

RajKaj Ref 7939087

I. ब्लॉक स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति द्वारा किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.13 22:30:17 IST
Reason: Approved

II. बैठक में बीडीओ, सीबीईओ, ब्लॉक आरपी, सीडीपीओ (महिला एवं बाल विकास विभाग), समस्त सीआरसी द्वारा नामांकन/प्रवेशोत्सव के संबंध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत की वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे।

IV. एसडीएम कार्यालय द्वारा शहरी क्षेत्र के सीआरसी को वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे।

V. ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में लक्ष्य के विरूद्ध की गई प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

VI. नामांकन वृद्धि, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु किये जा रहे कार्यो / प्रयासों की समस्त मॉनीटरिंग सीबीईओ कार्यालय द्वारा की जायेगी।

VII. ब्लॉक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के साथ–साथ बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों/चौराहों, निर्माणाधीन भवन, बेघर/घुमन्तु/मौसमी पलायन एवं कच्ची बस्ती के परिवारों का भी सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष की आयु के बालक–बालिकाओं को चिन्हित एवं सूचीबद्ध किया जाये।

VIII. सीआरसी (शहरी/ग्रामीण) द्वारा वार्डवार एवं क्षेत्रवार चिन्हित बालक–बालिकाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

IX. ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा 2 सदस्यीय टीम गठित कर अपने ब्लॉक के कम से कम 10 प्रतिशत विद्या ालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे एवं वेरिफिकेशन रिपोर्ट जिले को प्रस्तुत की जाये।

6 जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य

I. नामांकन लक्ष्य गत वर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आधार बनाकर लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानीय जनसंख्या व अन्य आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

II. जिला स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

III. बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जन संपर्क अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक बाल अधिकारिता विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0/मा0) को आमंत्रित किया जाकर सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् द्वारा समस्त ब्लॉक विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि समस्त सीआरसी को पंचायत की वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जाये।

V. जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा समस्त ब्लॉक के एसडीएम कार्यालय के माध्यम से शहरी क्षेत्र के सीआरसी को वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे।

VI. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समस्त सीडीपीओ के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों/कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाये।

VII. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमें बनाकर विद्यालयों में नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित गतिविधियों का सघन पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करवायी जाये।

VIII. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 सदस्यीय टीम गठित कर अपने जिले के समस्त ब्लॉक के कम से कम 5 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे।

7. गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका

i. सरकारी विद्यालयों में नामांकन, ड्रॉप आउट/अनामांकित बालक–बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं/समूहों का यथासम्भव सहयोग लिया जावे एवं परिषद कार्यालय द्वारा MOU की गयी NGO उक्त कार्य में विशेष सहयोग प्रदान कर सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित करें।

ii. परिषद कार्यालय से अनुबन्धित स्वयंसेवी संस्थायें प्रवेशोत्सव के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक नामांकन हेतु पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें।

RajKaj Ref
7939087
Signature valid
Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.13 22:30:17 IST
Reason: Approved

8. **प्रचार–प्रसार**

I. नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

II. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्तर से भी शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु ग्राम सभाओं में वितरण एवं प्रदर्शन हेतु विज्ञापन, पम्पलेटस् इत्यादि का प्रकाशन करवायें।

III. प्रवेशोत्सव के दौरान 15 जुलाई तक प्रत्येक गांव/ढ़ाणी में कम से कम दो बार प्रभात फेरी निकाल कर प्रचार प्रसार किया जाये।

IV. **प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत किया जाये।**

V. **विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विद्यालय के मुख्य द्वार पर सजावट की जाये।**

VI. **प्रवेशोत्सव के दौरान अनामांकित/ड्रॉप आउट बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलवाने हेतु विद्यालय परिक्षेत्र की महिला कार्यकर्ता, महिला जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र की समस्त महिलाओं के साथ सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर ड्रॉप आउट को शून्य तथा शत प्रतिशत नामांकन करने का प्रयास किया जाये।**

VII. **जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकरी जिले में शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि का सहयोग प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।**

VIII. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजकीय विद्यालयों में बालक–बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने हेतु सत्र 2024–25 में कक्षा 10 एवं 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की फोटो लगवाये।

IX. विद्यालय में अधिकाधिक नामांकन करवाने हेतु प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षा विभागीय योजनाओं/गतिविधियों का प्रचार प्रसार हेतु पम्पलेटस् वितरण करवायें।

X. अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक व पंचायत के मुख्य स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मन्दिर, सामुदायिक केन्द्र आदि पर दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पेम्फलेट वितरण एवं बैनर्स लगाये जायें।

XI. ग्राम/वार्ड विद्यालयों से वंचित हुये बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिये अभिभावकों को प्रेरित किया जाये।

9. **सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों/शिक्षकों/अभिभावकों को प्रोत्साहन**

I. प्रत्येक विद्यालय/सीआरसी (ग्रामीण/शहरी) स्तर पर नामांकन के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाये।

II. प्रत्येक पंचायत समिति/नगर पालिका में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन संस्थाप्रधानों /शिक्षकों को उपखण्ड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जाये।

III. प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले पाँच संस्थाप्रधानों/शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जाये।

IV. राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रत्येक जिले से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित किया जाये।

V. श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय/संस्थाप्रधान/शिक्षक का चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

VI. प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

RajKaj Ref 7939087
Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.13 22:30:17 IST
Reason: Approved

VII. प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

10. शैक्षिक सत्र 2024–25 में किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर जिम्मेदारी तय की जाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

नोट :–गत वर्ष की भाति डिजिटल प्रवेशोत्सव किया जाएगा जिसकी विस्तृत गाइडलाईन पृथक से निदेशालय बीकानेर से प्रेषित की जाएगी

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक – रास्कूशिप / जय / वैशि / प्रवेशो. / / 2024–25 / **दिनांक :**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, आयुक्त / राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
6. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I/II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
8. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
10. समस्त सीबीईओ / पीईईओ / यूसीईईओ / संस्थाप्रधान।
11. सम्बन्धित सचिव / निदेशक / प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, REI पार्टनर्स को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान शिक्षा से वंचित बच्चों के चिन्हीकरण एवं विद्यालय नामांकन के कार्य में सीआरसी / ब्लॉक / जिला स्तर पर तकनीकी एवं अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
12. रक्षित प्रति।

RajKaj Ref
7939087

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.13 12:30:17 IST
Reason: Approved

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

E-mail- smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/वै.शि./प्रवेशोत्सव अभियान/2024–25/ दिनांक :–

1. निदेशक, माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
5. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
8. अति0 जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

विषयः– नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों तथा गाड़िया लुहार/घुमन्तू परिवारों के बच्चों को विद्यालय में नामांकित करने हेतु सत्र 2024–25 में आयोजित किये जाने वाले प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के समस्त बालक–बालिकाएं, जिनकी आयु विद्यालय / आंगनबाडी जाने योग्य है, को चिन्हित कर उनकी आयु अनुरूप आंगनबाड़ी/कक्षा में प्रवेशित कर उन्हें आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुये निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त करवाये गये बच्चों तथा गाड़िया लुहार/घुमन्तु परिवारों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु **प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करते हुये विद्यालय से जोड़कर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करायें।**

शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार मई माह में विद्यालय के नवीन सत्र के प्रथम दिवस से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। इसके अन्तर्गत प्रथम दिवस से शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय परिक्षेत्र में घर–घर जाकर सर्वे (हाऊस होल्ड सर्वे) किया जाना है। हाऊस होल्ड सर्वे उपरान्त चिन्हित बच्चों एवं विद्यालय में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान चलाते हुये शिक्षा विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं/गतिविधियों/कार्यक्रमों से अभिभावकों/आमजन को अवगत कराते हुये अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करते हुये नामांकन करवाना सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान विद्यालय परिक्षेत्र के ऐसे बच्चे जो विद्यालय से जुड़ने से वंचित रह गये हैं, के लिये पुनः कार्ययोजना तैयार कर माह अगस्त तक पुनः सर्वे कर शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाये ताकि अधिकाधिक पंचायतों को उजियारी पंचायत घोषित किया जा सके। प्रवेशोत्सव अभियान का तिथिवार विवरण निम्नानुसार है –

RajKaj Ref
6785943

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kunal
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.06.15 11:57:41 IST
Reason: Approved

प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण			
क्र0स0	**कार्य प्रक्रिया**		**दिनांक**
1	हाऊस होल्ड सर्वे / बच्चों का चिन्हिकरण	–	24 जून से 29 जून, 2024
2	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	01 जुलाई से 16 जुलाई, 2024

प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण			
3	शेष रहे बच्चों के चिन्हिकरण हेतु पुनः हाऊस होल्ड सर्वे	–	18 जुलाई से 24 जुलाई, 2024
4	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	25 जुलाई से 16 अगस्त, 2024

संलग्न दिशा–निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि आंगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक–बालिका अनामांकित ना रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(कृष्ण कुणाल)
शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय

क्रमांक – रास्कूशिप/जय/वैशि/प्रवेशो./2024–25/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज0 सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत विभाग, राज0 सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, सचिव, राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव, राज0 राज्य महिला आयोग, जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
11. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
12. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
13. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
15. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
16. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक ;प्द्ध, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
17. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
18. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
19. समस्त सीबीईओ/यूसीईईओ/पीईईओ (सीआरसी) संस्थाप्रधान।
20. उपनिदेशक, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को पत्र भेजकर लेख है कि सर्वे के दौरान चिन्हित 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं व आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु सघन मॉनीटरिंग करें।
21. रक्षित प्रति।

RajKaj Ref
6785943

Signature valid

Digitally signed by Krishna Kunal
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.06.15 11:57:41 IST
Reason: Approved

प्रकरण की वस्तुस्थिति की गई कार्यवाही से निजी अनुभाग को आवश्यक रूप से अवगत करावें।

राजस्थान सरकार
कार्यालय मंत्री
शिक्षा (विद्यालयी / संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः /मंत्री/विस/शिक्षा/पंरा./2024/3128 जयपुर,दिनांक 14/05/2024

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर।

मा.शिक्षा/निजी/राज्यमंत्र/शिक्षामंत्री/359
दिनांक 16 MAY 2024

गुणवत्ता (...)
16.05.2024

विषयः— घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों/बच्चों को विद्यालयों में नामाकंन के लिये प्रोत्साहित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान प्रदेश में घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों/बच्चों को प्रवेश के लिये सभी विद्यालयों में प्रवेशोत्सव के अन्तर्गत विशेष प्रयास किये जायें तथा इन जातियों के विद्यार्थियों/बच्चों का अधिकाधिक नामांकन सुनिश्चित किया जावें।

निर्देशानुसार निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर वस्तुस्थिति से विद्यालयों में प्रवेशोत्सव की समाप्ति के बाद माननीय मंत्री महोदय को अवगत करवाने का श्रम करावें।

(जय नारायण मीणा)
विशिष्ट सहायक RAS

डिजिटल प्रवेशोत्सव 2024-25

हेतु डिजिटल मोबाइल एप्प उपयोग पुस्तिका

उपयोगकर्ता पुस्तिका

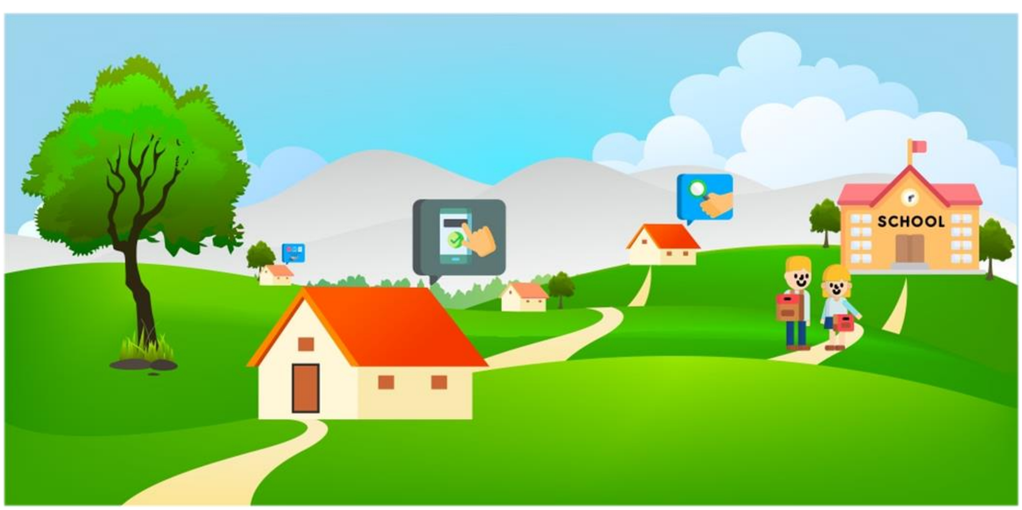

Digital Praveshotsav Process Flow

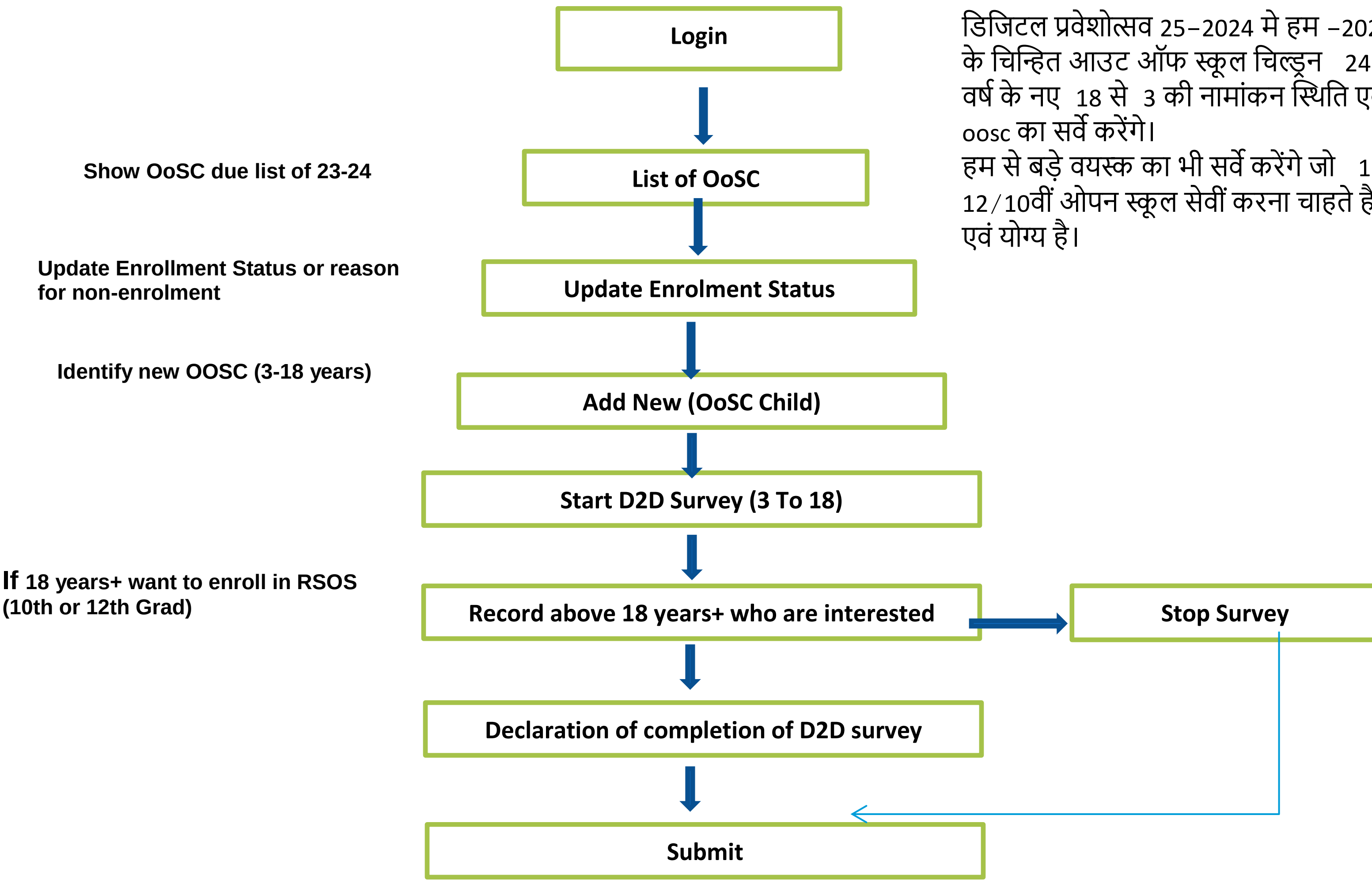

डिजिटल प्रवेशोत्सव 25-2024 मे हम -2023 के चिन्हित आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 24 वर्ष के नए 18 से 3 की नामांकन स्थिति एवं oosc का सर्वे करेंगे।

हम से बड़े वयस्क का भी सर्वे करेंगे जो 18 12/10वीं ओपन स्कूल सेवीं करना चाहते है एवं योग्य है।

1.उद्देश्य:

यह सर्वेक्षक के लिए सूचना का मुख्य स्रोत है। यह घरेलू D2D **सर्वेक्षण** के लिए समय-समय पर पूछे गए प्रश्नों के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण प्रदान करेगा।

2.” डिजिटल प्रवेशोत्सव" एप्लिकेशन डाउनलोड करें:

डाउनलोड करने के **लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। सर्च विकल्प में** "**Digital Praveshotsav**" खोजें।

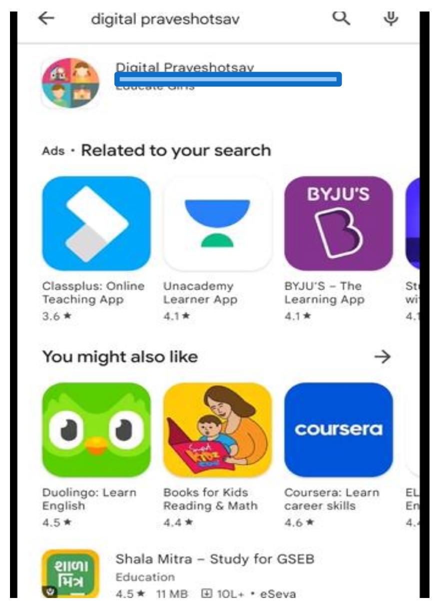

आप शाला दर्पण पर APK से भी डाउनलोड कर सकते है ।

पहली बार एप्लिकेशन खोलते समय, **स्थान, कैमरा और फ़ाइल की अनुमति दें।**

3.लॉगिन स्क्रीन

• मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग शुरू करने के लिए उपयोगकर्ता के नाम **पर स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर** और **सर्वेकर्ता का नाम भरना है** और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है।

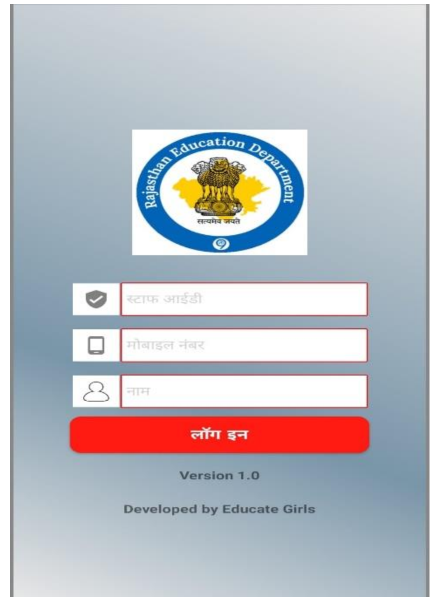

Hint:

• उपयोगकर्ता को पहली बार लॉगिन करने के **लिए इंटरनेट कनेक्शन** की आवश्यकता होती है।

उपयोगकर्ता का लॉगिन

गांव और उपयोगकर्ता का विवरण लॉगिन पेज से ऑटो फिल होगा ।

1. स्टाफ आईडी
2. अध्यापक का नाम
3. पद
4. मोबाइल नंबर
5. NIC कोड़
6. विद्यालय का नाम
7. राज्य
8. जिला
9. खंड
10. ब्लॉक कोड
11. ग्राम का नाम
12. ग्राम कोड

उपरोक्त जानकारी देखने के बाद ठीक है पर क्लिक करें।

संकेत: यहाँ पर उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है।

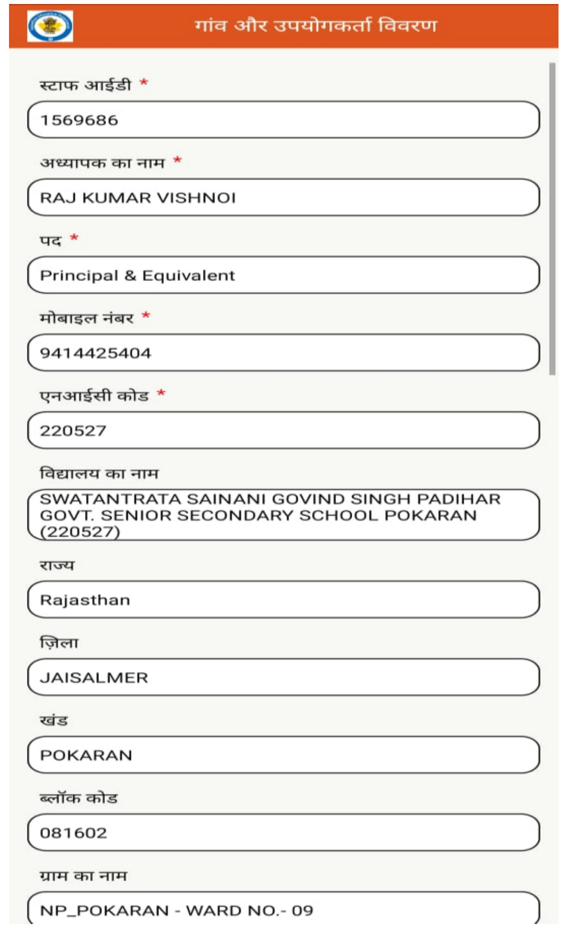

एक बार मोबाइल पुष्टिकरण में डेटा डाउनलोड हो जाने पर स्क्रीन पर दिखाई देगा और विद्यालय **NIC कोड** मास्टर डेटा के अनुसार अपडेट रहेगा।

1) **Menu:**

एप्लिकेशन **"मेनू"** तक पहुंचने के लिए। दाहिनी तरफ शीर्ष कोने पर 3 **क्षैतिज रेखा पर** क्लिक करें।

- **डेटा डाउनलोड** – उपयोगकर्ता द्वारा **अपलोड** किए गए डेटा को डाउनलोड करने के लिए।

- **डेटा सिंक** – मोबाइल में एकत्र किए गए डेटा को अपलोड करने के लिए।

फ़ार्म का नाम	कुल	अपलोड	लंबित
हाउसहोल्ड(3 से 18 वर्ष)	0	0	0
बच्चे	0	0	0
हाउसहोल्ड(18 वर्ष से अधिक)	0	0	0
वयस्क	0	0	0
नामांकन स्थिति	0	0	0

- **रिपोर्ट** – D2D सर्वे की कुल संख्या, अपलोड व लंबित डाटा का रिकॉर्ड देखने के लिए

- **लॉगआउट** – एप्लिकेशन से लॉगआउट करने के लिए

होम पेज (मुख्य पेज) :

आपको **नामांकन स्थिति** पर क्लिक करना है 2023-24 मे चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है शाला दर्पण पर, उन बच्चों की नामांकन की पूष्टि करने के लिए।

आपको **D2D सर्वेक्षण (3 से 18 वर्ष)** पर क्लिक करना है अगर आपको 2024-25 मे 3 से 18 वर्ष के नए आउट ऑफ स्कूल बच्चे को जोड़ना है।

आपको **D2D सर्वेक्षण (18 वर्ष से अधिक)** पर क्लिक करना है अगर उस घर मे कोई 18 वर्ष से अधिक 10वीं व 12वीं पास नहीं है ।

1.नामांकन स्थिति ऑप्शन

आपको **नामांकन स्थिति** पर क्लिक करना है 2023-24 मे चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है शाला दर्पण पर, उन बच्चों की नामांकन की पूष्टि करने के लिए।

नामांकन स्थिति पर क्लिक करते ही आपको 2023-24 मे चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की लिस्ट दिखेगी, आप अगर उनकी शैक्षिक स्थिति बदलना चाहते है तो **वर्तनाम स्थिति मे बदलाव** मे **Yes** पर क्लिक करे।

बच्चे का नाम	आयु	वर्तनाम स्थिति	वर्तनाम स्थिति मे बदलाव
BHEEKHO	13	ड्रॉपआउट	Yes
HAWA	11	ड्रॉपआउट	Yes
SUSHILA	11	अनामांकित	Yes
DHANU	10	अनामांकित	Yes
HANSRAJ	10	अनामांकित	Yes
JASHODA	10	अनामांकित	Yes
SAMEER	8	ड्रॉपआउट	Yes
JIKAR	7	अनामांकित	Yes
SHAUFULLA	12	अनामांकित	Yes
LAXMI	4	अनामांकित	Yes
HARISH	6	इस वर्ष नामांकन योग्य	Yes
GANGA	6	इस वर्ष नामांकन योग्य	Yes

वर्तनाम स्थिति मे बदलाव मे Yes पर क्लिक करते ही आपको बच्चे की सारी जानकारी जैसे उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक दिखेगा। आपको बच्चे की शैक्षिक स्थिति पर क्लिक करना है औपचारिक, अनौपचारिक एवं अनामांकित है यह बताना है।

अगर बच्चा नामांकित है तो आपको उसके शिक्षा की स्थिति अपडेट करनी होगी जिसके लिए आप शिक्षा पर जा कर,

अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको विद्यालय एवं कक्षा लिखना है।

अगर बच्चा अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आप **RSOS, NIOS,** अन्य पर जा कर क्लिक कर सकते है।

अगर बच्चा अनामांकित है तो आपको उसके अनामांकित होने का कारण ड्रॉप डाउन से **select** करना है। अगर आप प्रवास **select** करते है तो कहा प्रवास किया है (राज्य से दूसरे राज्य मे, जिले से दूसरे जिले मे) यह आपको ड्रॉप डाउन से चयन करना है।

2.D2D सर्वे" मॉड्यूल

- **अगर आपको 3 से 18 वर्ष नया बच्चा जोड़ना है D2D सर्वेक्षण** पर क्लिक करें, यह उपयोगकर्ता को **D2D** सर्वेक्षण प्रशनों के लिए पेज को ओपन करेगा ।

गाँव की जानकारी

इस गाँव/कैचमेंट एरिया मे कुल कितने घर है?

यह जानकारी आपने किसके ली?

"D2D सर्वे" मॉड्यूल

- **सर्वेक्षण विवरण में नया घर जोड़ने के लिए "नया घरअस्थायी निवास जोड़ें/" पर क्लिक करें।**

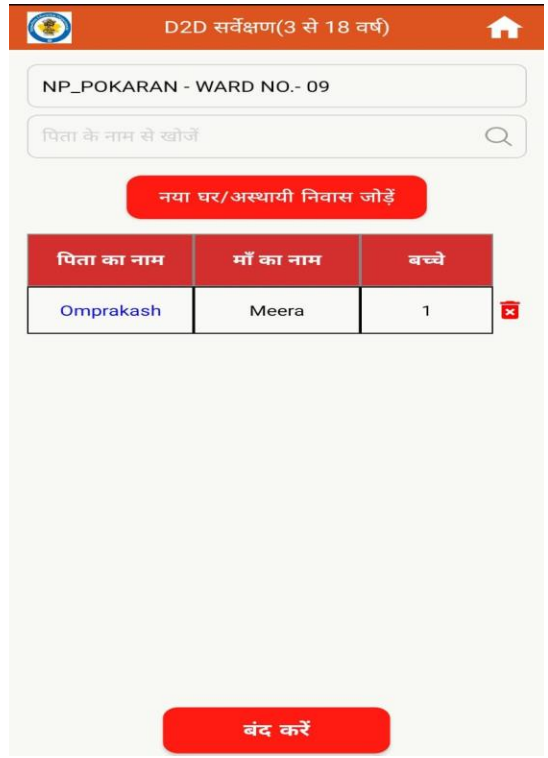

घरेलू जानकारी

- यदि घर में 3-18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, तो बच्चों के परिवार से संबंधित सभी जानकारी भरना अनिवार्य है और कम से कम 1 बच्चे का विवरण भी जोड़ें।

अनिवार्य परिवार विवरण:

ग्राम/वार्डप्रकार का चयन करें।

- नगर निगम
- ग्राम पंचायत
- नगर पालिका
- नगर परिषद

हेबिटेशन / वासस्थान

- जब आप गांव में सर्वे करें उस समय जिस मोहल्ले का सर्वे करेंगे उसका नाम लिखना है।

घरेलू विवरण मे निम्न जानकारी भरनी है:

- माता/महिला अभिभावक (संरक्षक) का नाम
- पिता/पुरुष अभिभावक (संरक्षक) का नाम क्या है।
- अभिभावक मोबाइल नंबर
- वर्ग क्या है (एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., सामान्य, एस.बी.सी.)
- धर्म क्या है ? (हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अन्य)
- विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे
  - खानाबदोश परिवारों के बच्चे (1)
  - बाल श्रमिक (2)
  - सफाईकर्मी के बच्चे (3)
  - आश्रय/वयस्क के संरक्षण बिना बच्चे (4)
  - अन्य (5)
  - लागू नहीं (00)

क्या इस घर मे कोई बड़ा (18 वर्ष से अधिक) है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है?

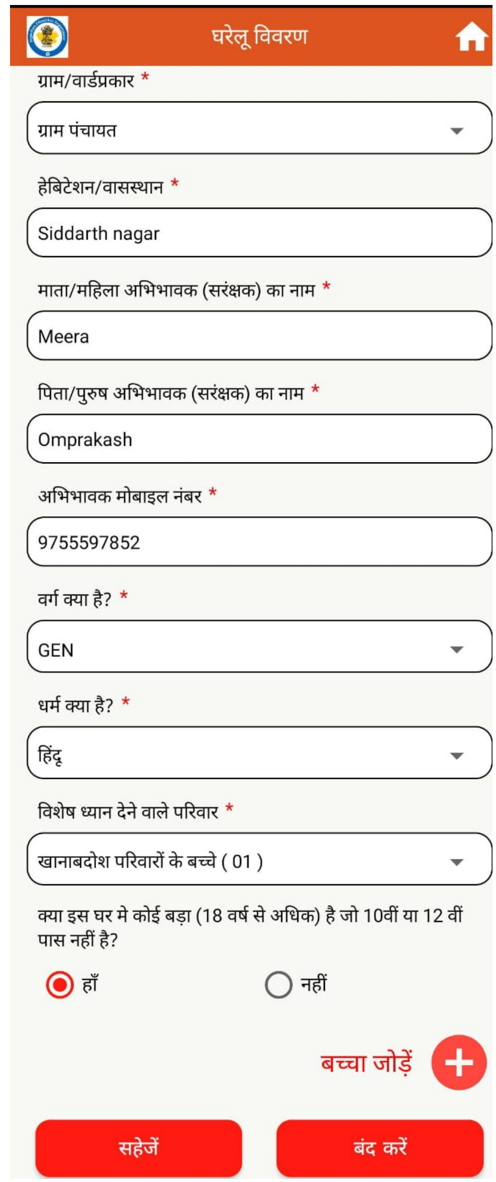

बच्चों का विवरण जोड़ने के लिए **बच्चा जोड़ें+** बटन पर क्लिक करें। एक परिवार के तहत कई बच्चों का विवरण जोड़ सकते हैं।

बच्चे की जानकारी:

बच्चों के लिए नीचे दिए गए सभी विवरण भरें और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए सहेजे पर क्लिक करें।

बच्चे का नाम

लिंग

जन्म तिथि उपलब्ध है तो हाँ पर क्लिक करें (कैलेंडर से जन्म तिथि चयन करें)

आयु (यदि जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और आयु दर्ज करें)

शैक्षणिक स्थिति क्या है

अनामांकित

ड्रॉप आउट

इस वर्ष नामांकन योग्य (यह तभी दिखाई देगा जब आयु 3 से 6 वर्ष के बीच चुनी गई हो)

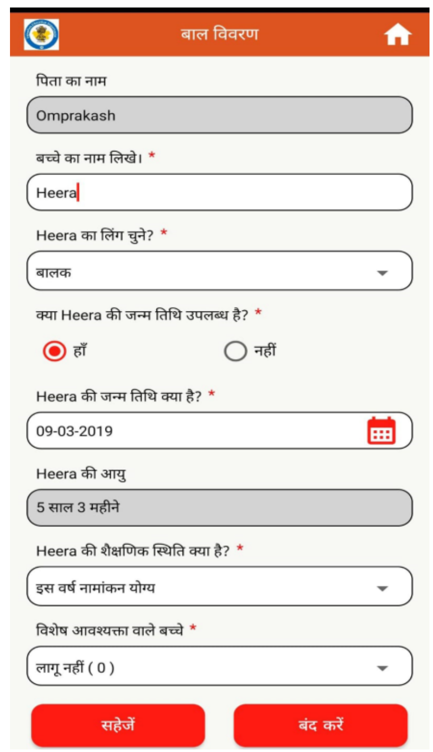

अगर बच्चा ड्रॉप आउट है तो:

- ड्रॉप आउट कक्षा का चयन करें 1 से कक्षा 12 तक
- ड्रॉपआउट का कारण
- बच्चा ड्रॉप आउट किस विद्यालय से है? निजी या सरकारी
- बच्चा निजी विद्यालय से है तो निजी विद्यालय का चयन करें
- बालक / बालिका सरकारी विद्यालय से है तो उस विद्यालय का चयन करे

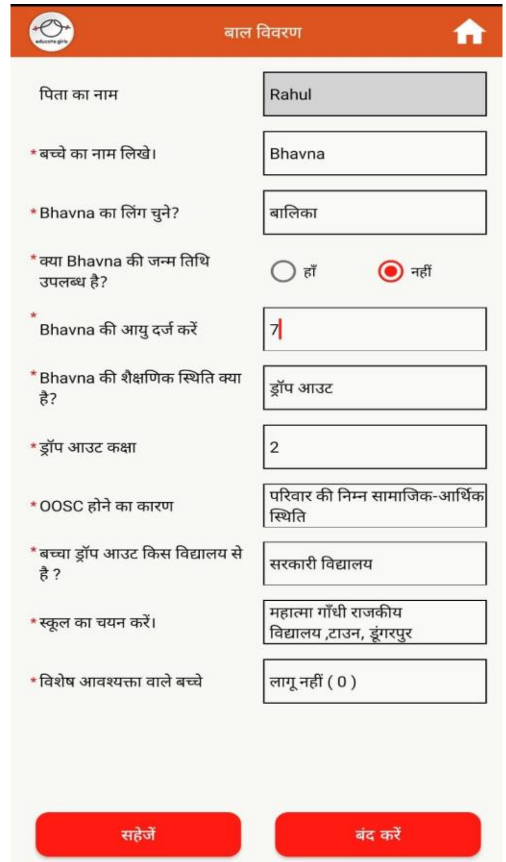

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

- लागू नहीं **(0)**
- दृष्टि दोष **(1)**
- श्रवण दोष **(2)**
- मानसिक विमंदित **(3)**
- अस्थि दोष **(4)**
- अधिगम अक्षमता **(5)**
- बहु विकलांगता **(6)**
- सरेब्रल पालसी **(7)**
- अन्य **(8)**

OOSC होने के कारण का चयन करें: OOSC के कारण जब अनामांकित का चयन करते है तो:

1. परिवार की निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति।
2. बाल विवाह

3. परिवार का प्रवास।
4. अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता।
5. बच्चे की शैक्षिक स्थिति कक्षा स्तर से न्यून है।
6. बीमारी / स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं / कुपोषण।
7. विकलांगता और सीखने की बाधाएँ।
8. स्कूल का अधिक दूरी पर होना।
9. सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में कठिनाई
10. स्कूल में कोई महिला शिक्षक नहीं।
11. भाई-बहनों की देखभाल करने में व्यस्त।
12. कृषि/गैर-कृषि/ पुश्तैनी दस्तकारी कार्यों में संलग्न।
13. स्कूल मे शैक्षिक एवं भौतिक सुविधाओं का अभाव ।
14. बालिका शिक्षा के प्रतिकूल सांस्कृतिक पारम्परिक मानदंड ।
15. CWSN के लिए सुविधाओं का अभाव जैसे रैंप, शौचालय,
16. परिवार की आर्थिक सहायता हेतु कार्यरत
17. बीमार परिवार के सदस्य की देखभाल ।
18. माता-पिता / परिवार के सदस्य की मृत्यु।
19. असामाजिक माहौल का होना

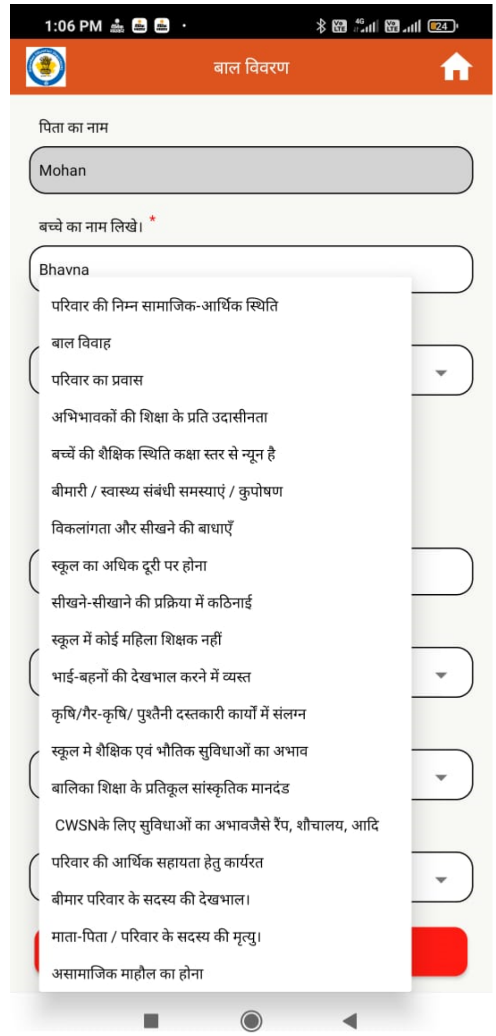

OOSC होने के कारण के चयन मे परिवार का प्रवास (4*) पर क्लिक करते है तो

1. प्रवास का प्रकार

- राज्य से अन्य राज्य में जाने व आने वाले प्रवासी परिवार
- राज्य के अंदर जाने व आने वाले प्रवासी परिवार

1. राज्य से अन्य राज्य में जाने व आने वाले प्रवासी परिवार

प्रवास का कारण

➢ राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार

  (ii) राज्य का नाम जहां प्रवास किया

  (iii) जिले का नाम जहां प्रवास किया

➢ **अन्य राज्य से राज्य में आने वाले प्रवासी परिवार**

  (ii) राज्य का नाम जहां से प्रवास किया

  (iii) जिले का नाम जहां से प्रवास किया

राज्य के अंदर जाने व आने वाले प्रवासी परिवार
प्रवास का कारण

I. **राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवार**

II. **जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने वाले प्रवासी परिवार**

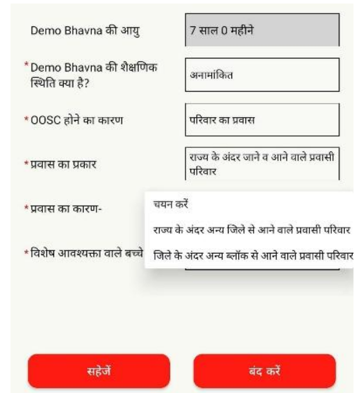

I. **राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवार**

- **जिले का नाम जहां से प्रवास किया ।**

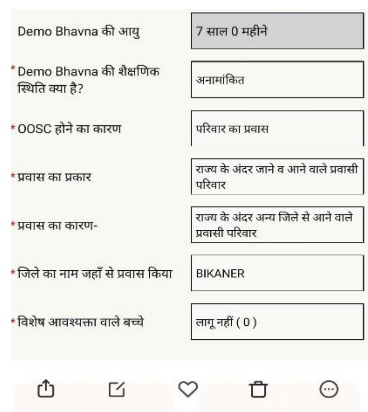

II. जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने वाले प्रवासी परिवार

- जिले का नाम जहां से प्रवास किया ।
- ब्लॉक का नाम जहां से प्रवास किया ।

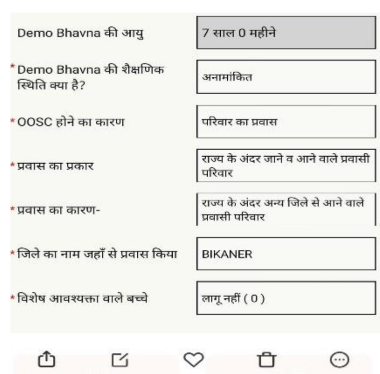

- **जिन परिवार की जानकारी आपने भरी है उसका विवरण**

आपको इस प्रकार दिखाई देगा ।

- पिता का नाम
- बच्चों की संख्या
- नया घर जोड़ने के लिए नया घर जोड़ें" पर क्लिक करें।

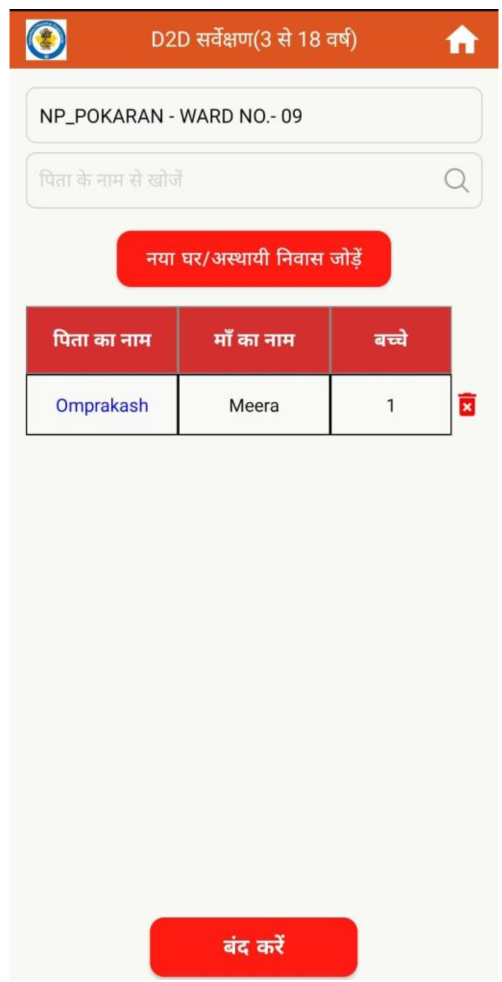

3.D2D सर्वेक्षण (18 वर्ष से अधिक)

आपको D2D **सर्वेक्षण (18 वर्ष से अधिक)** पर क्लिक करना है अगर उस घर मे कोई 18 वर्ष से अधिक 10वीं व 12वीं पास है ।

ग्राम/वार्डप्रकार का चयन करें।

- नगर निगम
- ग्राम पंचायत
- नगर पालिका
- नगर परिषद

हेबिटेशन / वासस्थान

- जब आप गांव में सर्वे करें उस समय जिस मोहल्ले का सर्वे करेंगे उसका नाम लिखना है।

- महिला मुखिया का नाम :
- पुरुष मुखिया का नाम:
- अभिभावक के मोबाइल नंबर :
- विशेष ध्यान देने वाले परिवार

वयस्क का विवरण जोड़ने के लिए **वयस्क जोड़ें+** बटन पर क्लिक करें। एक परिवार के तहत कई बच्चों का विवरण जोड़ सकते हैं।

वयस्क का विवरण

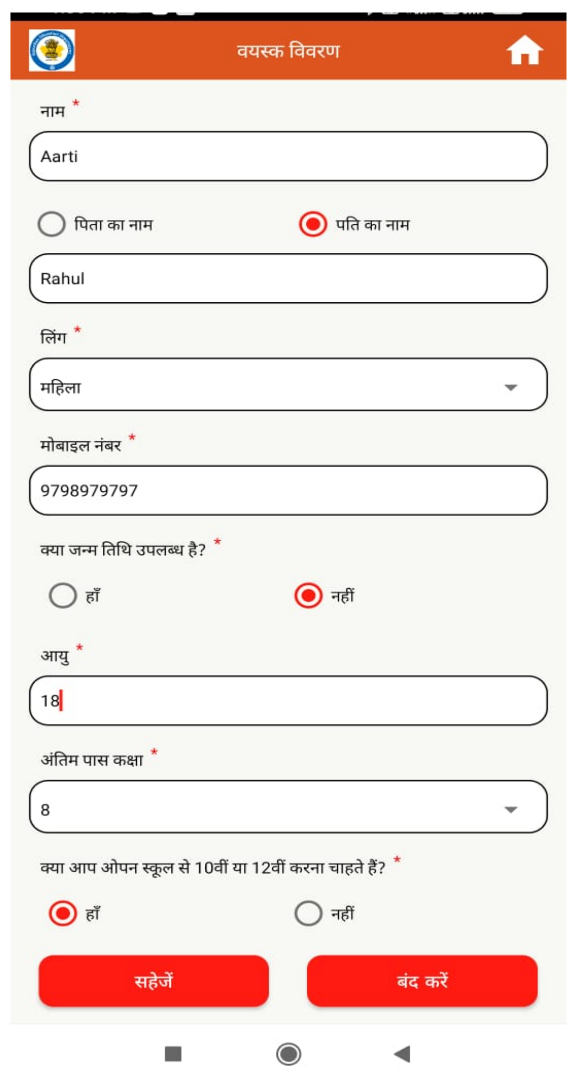

- वयस्क का नाम दर्ज करना हैं
- अगर वयस्क के पिता का नाम दर्ज किया तो लिंग दर्ज करे में – बालक/ बालिका/ ट्रांसजेंडर
- अगर वयस्क के पति का नाम दर्ज किया तो लिंग दर्ज करे में – महिला का चयन करना है
- मोबाईल नंबर दर्ज करना है I
- **जन्म तिथि** उपलब्ध है तो हाँ पर क्लिक करें (कैलेंडर से जन्म तिथि चयन करें) **आयु** –यदि जन्मतिथि **उपलब्ध नहीं** है तो नहीं पर क्लिक करें और आयु दर्ज करें)
- क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं करना चाहते है ?हाँ या नहीं का चयन करना है I

उसके बाद सहेजे पर क्लिक करें

- **अगर इसी परिवार में दूसरे वयस्क** का विवरण जोड़ना है तो **वयस्क जोड़ें+** बटन पर क्लिक करें। एक परिवार के तहत कई बच्चों का विवरण जोड़ सकते हैं।

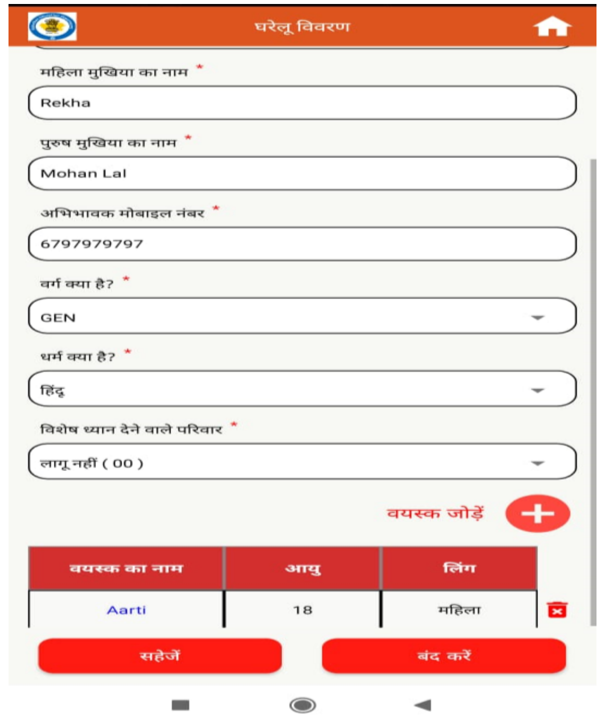

- जिन परिवार की जानकारी आपने भरी है उसका विवरणआपको इस प्रकार दिखाई देगा ।
    - पुरुष मुखिया, महिला मुखिया एवं वयस्क की संख्या
    - नया घर जोड़ने के लिए **नया घर/अस्थायी निवास जोड़ें"** पर क्लिक करें।

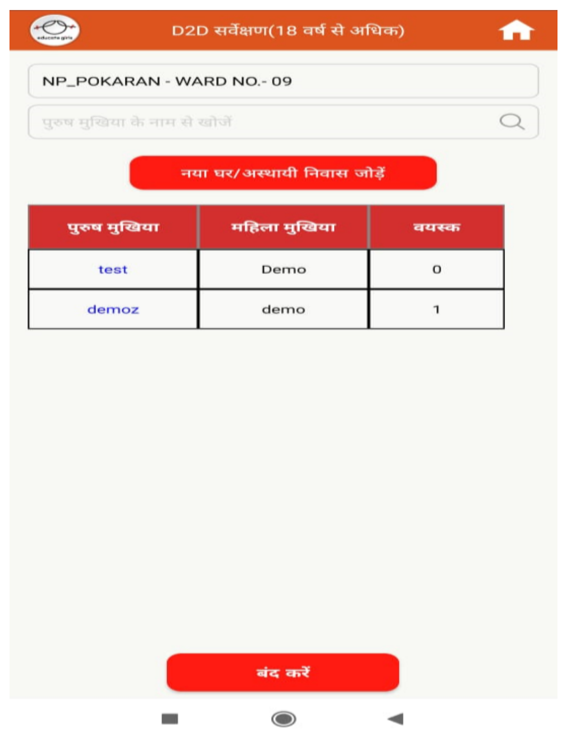

अगर बंद करें पर क्लिक करते हैं तो क्या स्कूल के केचमेंट के सभी घरों का सर्वे पूरा

- हो गया हाँ /नहीं ऑप्शन पूछा जायेगा ।

➢ यदि हाँ का चयन किया है।

स्कूल को सर्वेक्षण के रूप में पूर्ण चिन्हित करने के बाद आप उस स्कूल के केचमेंट में दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे ।

ठीक है पर क्लिक करने के बाद

➢ यदि आपका सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए पूरा नहीं हुआ है, तो कृपया सर्वेक्षण बंद न करें I

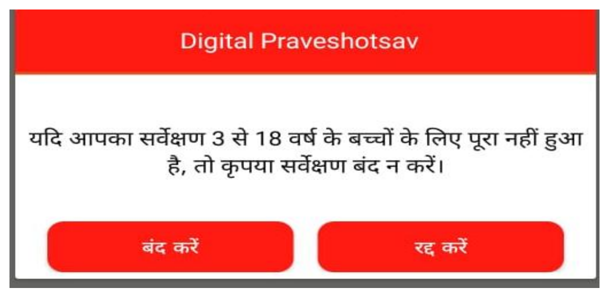

➢ यदि कोई अन्य शिक्षक भी उसी विद्यालय में सर्वेक्षण कर रहा है, तो कृपया सर्वेक्षण बंद न करेंI

यदि हाँ का चयन करते है ।

नजरी नक़्शे की तस्वीर लेनी है।

उसके बाद **सहजे** पर क्लिक करे।

आपका आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हिकरण का सर्वे यहा पूरा हो गया है।